SDM Seraikela
Just now

उपायुक्त का कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ।

(आपूर्ति शाखा)

:: आदेश ::

भारत में Covid-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए झारखण्ड में इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपायों को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है, जिसे प्रभावी किया गया है। इस संदर्भ में सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 250 दिनांक 20.04.2021 के द्वारा महामारी रोग अधिनियम् 1897 की धारा 2, 3 एवं 4 के तहत् झारखण्ड राज्य महामारी रोग विनियमन, 2020 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सरायकेला अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 22.04.2021 से 29.04.2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की स्थिति को देखते हुए इस विषम परिस्थिति में खाद्य पदार्थों की कीमत पर नियंत्रण रखने हेतु सरायकेला-खरसावाँ जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पत्रांक 17/2021-22 दिनांक 23.04.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये बाजार मूल्य तालिका के अनुसार थोक एवं खुदरा सामग्रियों का दर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

क्र0	सामग्री का नाम	थोक मूल्य (प्रति क्वींटल / कि0लीटर	खुदरा मूल्य (प्रति कि0ग्रा0/लीटर)
1	चावल (उत्तम)	2700-2800 प्रति क्विंटल	30-32 प्रति किलोग्राम
2	चावल (मध्यम)	2400-2500 प्रति क्विंटल	26-28 प्रति किलोग्राम
3	राहड़ दाल	10400.00 प्रति क्विंटल	110.00 प्रति किलोग्राम
4	मसूर दाल	7800.00 प्रति क्विंटल	82.00 प्रति किलोग्राम
5	चना	6200.00 प्रति क्विंटल	65.00 प्रति किलोग्राम
6	चीनी	3900.00 प्रति क्विंटल	42.00 प्रति किलोग्राम
7	सरसों तेल बोतल	170.00 प्रति लीटर	175.00 प्रति लीटर
8	आटा (लूज)	2300.00 प्रति क्विंटल	25.00 प्रति किलोग्राम
9	आलु	1200.00 प्रति क्विंटल	15.00 प्रति किलोग्राम
10	प्याज	1600.00 प्रति क्विंटल	20.00 प्रति किलोग्राम
11	गेहूँ	19500.00 प्रति क्विंटल	22.00 प्रति किलोग्राम
12	चना दाल	71000.00 प्रति क्विंटल	76.00 प्रति किलोग्राम
13	उरद दाल	10000.00 प्रति क्विंटल	105.00 प्रति किलोग्राम
14	मूंग दाल	10000.00 प्रति क्विंटल	105.00 प्रति किलोग्राम
15	वनस्पति तेल पोच	155.00 प्रति लीटर	160.00 प्रति लीटर
16	सोयाबीन रिफाईन्ड	150.00 प्रति लीटर	155.00 प्रति लीटर
17	गुड़	3500.00 प्रति क्विंटल	40.00 प्रति किलोग्राम
18	मैदा	2200.00 प्रति क्विंटल	25.00 प्रति किलोग्राम
19	चुड़ा	2600.00 प्रति क्विंटल	30.00 प्रति किलोग्राम
20	पशु आहार	2200.00 प्रति क्विंटल	25.00 प्रति किलोग्राम
21	चोकर	2000.00 प्रति क्विंटल	22.00 प्रति किलोग्राम

23/04/21

SDM Seraikela
1 minute ago

सभी थोक एवं खुदरा विक्रेता उपरोक्त निर्धारित दर के अनुसार ही सामग्रियों का बिक्री करना सुनिश्चित करेंगें। निर्धारित दर में किसी भी तरह का उतार-चढ़ाव की शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं महामारी रोग अधिनियम् 1897 की धारा 2, 3 एवं 4 के तहत सुसंगत धारा के तहत् कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

इस व्यवस्था की निगरानी एवं हरे साग-सब्जी के दर का निर्धारण पणन सचिव, कृषि बाजार उत्पादन समिति, सरायकेला मो0- 9060319223 करेंगें।

23/04/21

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
सरायकेला-खरसावाँ।

ज्ञापांक 623/आ0, सरायकेला, दिनांक 23.04.2021

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी अंचल अधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पणन सचिव, कृषि बाजार उत्पादन समिति, सरायकेला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ को सादर सूचनार्थ समर्पित।

23/04/21

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
सरायकेला-खरसावाँ।